

दिनांक 16-07-2015 को परिषद दिवस में प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रगति आख्या

निस्तारण से सम्बन्धी कार्यालय का नाम—लखनऊ जोन, मुख्यालय, लखनऊ

(समस्त प्रकरण निस्तारित)

क्रम सं०	आवेदक का नाम, पता एवं पता	शिकायत का विषय	पुनः आवेदन हो तो पूर्व आवेदन का क्रमांक एवं तिथि	निस्तारण हेतु दिया गया समय	कार्य से सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी का अभिमत एवं प्रगति की स्थिति	टिप्पणी (प्रकरण निस्तारित)
1.	श्री वीरेन्द्र स्याल, श्री मुकेश चन्द्र सती, ए-99, नेहरू कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।मो०नं०-09897165744	भवन सं०-ए-100 एवं ए-101 के आवंटियों को ए-99 के घर के आगे की सड़क आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।	-	15 दिन	उप आवास आयुक्त, सम्पत्ति मुख्यालय के पत्रांक 322 दिनांक 11.03.2016 द्वारा अवगत कराया गया कि अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, महोदय द्वारा अवैध निर्माण की स्थिति में इसे गिराने की कार्यवाही किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। पुलिस बल प्राप्त होने पर अनाधिकृत निर्माण गिराने की कार्यवाही की जायेगी।	प्रकरण निस्तारित
2.	श्री प्रीतम लाल चाचरा, डी०-104, नेहरू कालोनी, देहरादून। मो०नं०-09719057801	अधि० अभि० सहारनपुर द्वारा कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में।	-	15 दिन	मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल प्राप्त होने पर अनाधिकृत कब्जा हटाया जायेगा।	प्रकरण निस्तारित
3.	श्री गेंदा लाल, 15/148, इन्दिरा नगर, लखनऊ। मो०नं०-9410852803	एस०एफ०एस० भवन सं०-15/148 के नामान्तरण के संबंध में।	-		मूल पत्रावली ई०ओ०डब्लू० के पास जप्त होने के कारण कार्यवाही सम्भव नहीं।	प्रकरण निस्तारित
4.	श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव। ई०/4073, राजाजीपुरम, लखनऊ।मो०नं०-9452923710	भवन संख्या-ई-4073 के नामान्तरण के सम्बन्ध में।	-	07 दिन	सम्पत्ति प्रबंधक अधिकारी, राजाजीपुरम, कार्यवाही सम्पन्न की गयी की सूचना उपलब्ध करायी गयी।	प्रकरण निस्तारित
5.	श्री राम नरायन खरे, सी-505/डी०, इन्दिरा नगर, लखनऊ।मो०नं०-8765455018	सी०-505/एच प्रथम तल के स्वामी द्वारा अवैध निर्माण के सम्बन्ध में।	-	07 दिन	मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल प्राप्त होने पर अनाधिकृत कब्जा हटाया जायेगा।	प्रकरण निस्तारित

6.	श्रीमती माया गुप्ता पत्नी श्री शशि कुमार गुप्ता, 117/के0, 137ए0, अम्बेडकर नगर, काकादेव, कानपुर।मो0नं0-9415478758	केशवपुरम योजना के प्रिमियम भूखण्ड सं0-एल0पी0आर0 के ब्याज भुगतान के सम्बन्ध में।	-	07 दिन	उप आवास आयुक्त (सम्पत्ति) के पत्रांक 2276 दिनांक 3.08.2015 द्वारा अवगत कराया गया कि आवंटी को 21.10.2013 को साइट प्लान उपलब्ध करा दिये जाने के उपरान्त भी रजिस्ट्री नहीं करायी गयी। अतः देय ब्याज माफ किया जाना सम्भव नहीं।	प्रकरण निस्तारित
7.	श्री आनन्द प्रकाश जयसवाल, सी0-160 एच0ए0एल0 कोरबा, अमेठी।मो0नं0-9415478758	फ्लैट सं0-2बी-टी09-904 को प्रथम तल पर परिवर्तित किये जाने के संबंध में।	-		उप आवास आयुक्त, अवध विहार योजना, के पत्रांक 1383 दिनांक 29.09.2015 तल परिवर्तन हेतु निर्धारित मांग पत्र जारी किया गया।	प्रकरण निस्तारित
8	श्रीमती सुजीता बाल्मीकी, 11/872, इन्दिरा नगर, लखनऊ।	भवन सं0-11/872 की बकाया धनराशि का भुगतान किशतों में किये जाने के संबंध में।	-		मूल आवंटी की मृत्यु के कारण नामान्तरण के उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।	प्रकरण निस्तारित
9.	श्री जय भगवान शर्मा डी-105/1, इन्दिरा नगर, लखनऊ।मो0नं0-9559355864	मूल्यांकन आदेश को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में।	-	07 दिन	सम्पत्ति प्रबन्धक, इन्दिरा नगर, द्वारा मूल्यांकन आदेश जारी किया गया।।	प्रकरण निस्तारित
10.	श्री पवन कुमार निगम, एफ-5089, राजाजीपुरम, लखनऊ।मो0नं0-9451176026	भवन सं0-5077 के अवैध निर्माण के सम्बन्ध में।	-	15 दिन	मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल प्राप्त होने पर अनाधिकृत कब्जा हटाया जायेगा।	प्रकरण निस्तारित
11.	श्री मुकेश कुमार उपाध्याय, 8ए/195, वृन्दावन योजना, लखनऊ।	अन्य की भाँति समायोजन के सम्बन्ध में।	-	07 दिन	उप आवास आयुक्त (भूमि अर्जन) के पत्रांक 690/एल0ए0सी0/एच0क्यू0 दिनांक 21.07.2015 द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदक को उसके प्रकरण में मध्यम आय वर्ग का भवन आधे दामों पर आवंटित किया जा चुका है और वो उसमें ही निवास कर रहा है। दोहरा लाभ दिया जाना सम्भव नहीं।	प्रकरण निस्तारित